HUNDREDPAISA

वोटर कार्ड (EPIC) के बारे में सामान्य जानकारी

वोटर कार्ड क्या है?

- वोटर कार्ड को **EPIC (Electors Photo Identity Card)** भी कहते हैं।
- यह **भारत में मतदाता की पहचान** का सबसे मुख्य दस्तावेज़ है।
- वोटर कार्ड **मतदाता की पहचान और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए जरूरी** है।

पात्रता

- आवेदक की **आयु कम से कम 18 वर्ष** हो।
- आवेदक भारत का स्थायी नागरिक हो।
- आवेदक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।

जरूरी दस्तावेज़

नए वोटर कार्ड के लिए आमतौर पर ये दस्तावेज़ चाहिए:

1. **पहचान प्रमाण**: आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
2. **निवास प्रमाण**: राशन कार्ड, बिजली/पानी बिल, बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड
3. **जन्म तिथि प्रमाण**: जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं/12वीं मार्कशीट
4. **रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो**

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन नया वोटर कार्ड के लिए फॉर्म भरा जायेगा ।
- ऑफलाइन: अपने **क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय / BLO (Booth Level Officer)** के पास जाकर आवेदन करें।
- आवेदन के बाद सत्यापन और दस्तावेज़ों की जाँच की जाती है।

अन्य जानकारी

- वोटर कार्ड **मतदान के समय, बैंक खाता खोलने या सरकारी योजनाओं में पहचान के लिए** उपयोग किया जा सकता है।
- आवेदन फॉर्म में दिए गए विवरण **सत्य और सही होना अनिवार्य** है।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद **नया वोटर कार्ड डाक के माध्यम से** आवेदक को भेजा जाता है।

सूचना:

हमारी टीम आपसे संपर्क करके दस्तावेज़ ईमेल/WhatsApp से लेगी, फॉर्म भरने और OTP प्रक्रिया में मदद करेगी; प्रक्रिया पूरी होने पर रसीद आपको ईमेल/WhatsApp के माध्यम से भेज दी जाएगी।